



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM &  
COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

अधिसूचना

दिनांक 06-01-15

विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित मीडिया पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान में प्रचलित **ASSOCIATION OF STUDY INSTITUTES REGULATION, 2008 REGULATION NO 18** के विभिन्न प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन लागू किए जाते हैं।

1. **कार्पेट एरिया** — इसके संबंध में रेग्यूलेशन क्रमांक 18/2008 के पृष्ठ क्रमांक 22 पर उल्लेखित क्षेत्रफल विवरण को और अधिक तार्किक बनाने हेतु समिति ने अनुशंसा दी है कि :-
  - (i) स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम एरिया 2500 वर्ग फीट ही रखा जाए।
  - (ii) सभी पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकालय, संकाय सदस्य, लैब, संचालक कक्ष आदि के लिए रेग्यूलेशन में उल्लेखित एरिया को यथावत रखते हुए पाठ्यक्रमानुसार कक्षाओं की संख्याएँ बढ़ाई जाए और उनके क्षेत्रफल के योग को तालिका में दिखाया जाए। तालिका संलग्न है।
2. **लैब उपकरण** — इस संबंध में पूर्व में किए गए संशोधन रेग्यूलेशन के पीछे अंतिम पृष्ठों में दिए हैं, जिसका अवलोकन किया गया और निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं :-

**(I)**

- कंडिका 10.3 का बिंदु (i) यथावत रखा जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (ii) का " Satellite Radio " एवं " Microphone with ampliflier and sound box " को हटाया जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iii) " Colour TV set " के स्थान पर " LED minimum 32 inch with USB drive facility TV set " स्थापित किया जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iii) " DVD Player " को हटाया जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iii) " 3CCD Digital Video Camera " के स्थान पर " 3 CCD Professional Video Camera One for each programme " उल्लेखित किया जाए।

- कंडिका 10.3 के बिंदु (iv) की पहली पंक्ति में “ Audio ” के साथ “ Video ” भी जोड़ा जाए साथ ही “ Recording and editing system ” के आगे “ NLE Audio and Video System with voice over facility ” जोड़ा जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iv) की दूसरी पंक्ति में “Acoustically designed Video Studio with facility for News Reading ” को हटा दिया जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iv) में से “ DVD Player 2 Nos ” एवं “ Digital VCR DV Format 1 No. ” को हटा दिया जाए। इनके स्थान पर “ Minimum P-IV Computer System with multimedia facility ” जोड़ा जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iv) में “Professional Video Camera Tripods ” के आगे “ For each Video Camera. ” शब्द जोड़ा जाए।
- कंडिका 10.3 के बिंदु (iv) के अंतिम बिंदु में “ Final cut pro ” के स्थान पर “ प्रमुख मीडिया संस्थानों में प्रयुक्त होने वाले वैध लाइसेंस युक्त वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर ” को स्थापित किया जाए।

**(II) Faculty –** इसके संबंध में किए गए संशोधन में अंतिम बिंदु में “should be an experienced professional having Masters degree in any other discipline and professional experience of working with at least state level media for minimum 5 years in the relevant field.” तक की लाइन हटा दी जाए।

आदेशानुसार

निदेशक (ए.एस.आई.)

06-01-15